राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु उपचार और सुझाव

*देवेंद्र राज सिंह

संक्षेप:-

राजस्थान में एम.एस.एम.ई. सेक्टर ने तीन दशकों के दौरान एक सूक्ष्म प्रगति की है, हालांकि राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने संपत्ति विकसित नहीं की है, और पर्याप्त रूप से, उपरोक्त कई प्रकार की समस्याओं के कारण और औद्योगिक बीमारी का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास में अपने योगदान को बढ़ाना जारी रखा है। निम्नलिखित संगठन जो राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें और अधिक मजबूत और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें दक्षता के किसी भी डिग्री के साथ कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, तथा उनके उपचार हेतु वित्तीय सहायता, आधारभूत सुधार, विपणन सहायता और औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के बारे में बताया गया है। तथा सुझावों में तकनीकी सुझाव, कौशल विकास, गुणवत्ता में सुधार, सरकार और बैंक से सहायता, प्रभावी राष्ट्रीय आर्थिक योजना इत्यादि के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई है।

कुँजी-शब्द:- आधारभूत, विपणन, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, ऋण, रोजगार, एम. एस. एम. ई.।

प्रस्तावना:-

एमएसएमई ने हमेशा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है, और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने वाले कम निवेश के साथ, अधिक रोजगार के अवसरों के विभिन्न उद्देश्यों को साकार करने की जिम्मेदारी के साथ दिलचस्पी रखता है। एम.एस.एम.ई विभाग यह प्रदान करता है, कि इन उद्यमों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं, उदाहरण के लिए नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वह सुविधाओं का अध्ययन करता है, जैसे बाजार सहायता और मशीनरी उपकरण।

लघु और मध्यम उद्यम आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सकल घरेलू उत्पाद के 29.7% और निर्यात में 49.66% योगदान करते हैं। यह कृषि क्षेत्र के बाद 28.5 मिलियन उद्यमों के माध्यम से लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं। और स्वदेशी कौशलों, आधारिक नवाचारों और उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मूल्य श्रंखला का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के छोटे उद्योग शामिल है। इस क्षेत्र में आठ उप समूह होते हैं यह हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल जटा, पावर लूम, रेशम उत्पादन, खादी और ग्रामोद्योग उद्यम प्रमुख योग देते है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2006 से सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू किया गया था। एमएसएमई की रुकावट को दूर कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु 17 जुलाई 2019 को राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु एक वेब पोर्टल http://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ लांच किया । अधिनियम 2006 में एम.एस.एम.ई की निवेश सीमा निर्धारित की गई, तथा दो वर्गों में रखा गया 1. विनिर्माण उद्योग 2. सेवा उद्यम।

वर्गीकरण	सूक्ष्मा	लघु	मध्यम
विनिर्माण उद्योग	25 लाख तक	25 लाख से अधिक 5 करोड तक	5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक
सेवा उद्यम	10 लाख तक	10 लाख से अधिक 2 करोड़ तक	2 से अधिक 5 करोड तक

• **मानदंड**: संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एमएसएमई को नए सिरे से परिभाषित किया गया, इसमें 2006 के अधिनियम में उल्लेखित विनिर्माण व सेवा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। उद्योगों पर गठित समिति डी. आर. पी. एस. सी. 2018 ने अपनी रिपोर्ट में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के वर्गीकरण को गलत बताया है, जिसे अब समाप्त कर 26 जून 2020 से नई परिभाषा लागू हो गई है, जिसमें विनिर्माण एवं सेवाएं एक साथ मिली हुई है।

वर्गीकरण	निवेश	टर्नओवर
सूक्ष्म	₹ 1 करोड़	₹ 5 करोड़
लघु	₹ 10 करोड़	₹ 50 करोड़
मध्यम	₹ 50 करोड़	₹ 250 करोड़

लघु और मध्यम उद्यम किसी अर्थव्यवस्था की विविधता, उत्पादन, क्षमता, रोजगार तथा क्षेत्रीय असमानता को कम करने वाले प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। भारत के संदर्भ में यह क्षेत्र कुल रोजगार का 45% सृजन करते हैं, तथा निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 50% है।

एम एस एम ई क्षेत्र के लगभग 99.5% उद्यम सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की संख्या समान है, परंतु लघु और मध्यम श्रेणी के अधिकांश उद्यम शहरी क्षेत्रों में स्थित है, जो लगभग 5 करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं।

साहित्य पुनरावलोकन:-

हरिहरन, (2021) कोविड-19 के अभूतपूर्व प्रकोप ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) सहित सभी क्षेत्रों में संकट ला दिया। बिना आजमाए हुए लॉकडाउन ने एमएसएमई क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को कम कर दिया और कच्चे माल की गैर-खरीद, कम उत्पादन और अंतिम उत्पादों की आपूर्ति, और उत्पादन की प्रक्रिया में काम करने के लिए कर्मचारियों की अनुपलब्धता के रूप में प्रतिकूल झटके लगाए। परिणाम व्यापक और खुले हैं, जैसे रोजगार का नुकसान, राजस्व सृजन में कमी, बिक्री में गिरावट और मजदूर वर्ग की आय में कटौती ।

इंन्द्रकुमार,(2020)भारत में, एमएसएमई क्षेत्र ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि ये अनिवार्य रूप से पारंपरिक विरासत कौशल पर निर्भर हैं और ज्यादातर स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं ।

श्रीनिवास, के.टी. (2013) ने समावेशी विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका शीर्षक वाले अपने पेपर में निष्कर्ष निकाला किएमएसएमई को देश के विकास का इंजन कहा गया है। पिछले कुछ वर्षों में, वहाँ रहा हैइस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जबरदस्त बदलाव। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग की कमीलिंकेज भारत में एमएसएमई के

खराब विकास के प्रमुख कारण हैं। राज्य के साथ-साथ केंद्र द्वारा प्रदान की गई सहायतासरकार भारत में एमएसएमई के उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत और सरकार में उद्यमी। लेना चाहिएभारत में इन MSMEs के आगे विकास के लिए कुछ पहलें।

उद्देश्य:-

1. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के उपचार का पता लगाना।
2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु सुझाव पर प्रकाश।
3. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की नवीन परिभाषा जाना।
4. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का रोजगार में इसका पता लगाना।
5. सूक्ष्म लघु उद्योगों की राजस्थान में यथास्थिति जानना।

अनुसंधान क्रियाविधि:-

प्रस्तुत शोध पत्र के डाटा द्वितीयक समंक माला पर आधारित है। जिनका संकलन विभिन्न शोध-पत्रों,पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रासंगिक वेबसाइटों से किया गया है। राजस्थान सरकार के वार्षिकांक आर्थिक समीक्षा से भी सूचना एकत्रित की गई है। वभारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से भी सूचनाएं प्राप्त की गई है।

एमएसएमई क्षेत्र द्वारा अपनाए गए प्रमुख उपचार:-

1. **कच्चे माल का आवंटन:-**

एमएसएमई इकाइयों को आवश्यक कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए, कच्चे माल के आयात में विशेष छूट प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें कच्चे माल की उपलब्धता की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी पहुंच कच्चे माल तक आसान हो सके। आवंटन इस रुप से किया जाना चाहिए, जिससे प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को लाभ प्राप्त हो सके।

2. **आधारभूत ढांचे में सुधार:-**

आधारभूत ढांचे में सड़क, परिवहन, रेलवे, बिजली एवं वित्त आदि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। एमएसएमई की आधारभूत ढांचागत समस्याओं को शीघ्र सुलझाना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं मजबूत होने से ही एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा।

3. **वित्तीय सहायता:-**

ऋण देने वाली एजेंसियों को एमएसएमई को ऋण देने के लिए लंबी प्रक्रिया और अन्य मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता है, रुग्णता की घटनाओं से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों को एमएसएमई क्षेत्र को बिना किसी देरी के ऋण देना चाहिए। एमएसएमई के प्रवर्तकों के पास पूंजी का अभाव होता है, और उत्पादन छोटे स्तर पर व धीमा होता है जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ऋण देने वाली एजेंसियों को ऋण देने के लिए लंबी प्रक्रिया और अन्य मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। रुग्णता की घटनाओं से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों को एमएसएमई क्षेत्र को बिना किसी देरी के ऋण देना चाहिए।

4. **विपणन सहायता:-**

लाभकारी मूल्य पर अपने उत्पादों का विक्रय कई बार एमएसएमई इकाइयों की प्रमुख प्रमुख समस्या है, उचित विपणन सुविधाओं और प्रचार की कमी के कारण एमएसएमई के लिए अपने उत्पादों को बेचना मुश्किल हो जाता है। इन्हें इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए विपणन सहायता प्रदान किया जा सकता है। एमएसएमई क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन सामने आ सकते हैं।

5. **परिसमापन:-**

कई वर्षों से रुग्णता की स्थिति, यदि किसी उद्योग में व्याप्त है, और सरकारी प्रयासों के बावजूद उन्हें पुनर्जीवित करना मुश्किल हो पा रहा है। अंत में यदि सभी प्रयास विफल सिद्ध हो जाए, तो व्यवसाय को बंद करना ही बेहतर होता है।

6. **औद्योगिक शिक्षा और प्रशिक्षण:-**

बदलते परिवेश को देखते हुए एमएसएमई क्षेत्र को नवीन तकनीक, कौशल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ज्ञान, बाहरी वातावरण का ज्ञान, बड़े-बड़े उद्योगों के समक्ष टिके रहने की रणनीति इत्यादि बातों का शिक्षण व प्रशिक्षण समय समय-समय पर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे ये उद्योग बदलते परिवेश में बढ़ते प्रतियोगी वातावरण में अपने आप को जीवित रख सके।

7. **प्रौद्योगिकी उन्नयन:-**

मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के तरीकों और तकनीकों को अद्यतन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वित्तीय संस्थानों को धन उपलब्ध कराना चाहिए , इस संबंध में सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, कि उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी दी जानी चाहिए और मिलावट, गलत बयानी आदि जैसे कदाचार पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है।

8. **साख गारंटी कोष:-**

सरकार ने उन सूक्ष्म और लघु उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी निधि की स्थापना की है, जो अपने उद्यमों के विकास के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु जमानत देने में असमर्थ रहते हैं। साख गारंटी को पहले ही 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड रुपए कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ-साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधारों की बदौलत इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि और रोजगार स्रृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

9. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम:-**

यह कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के विकास के लिए सरकार का नोडल कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तकनीकी उन्नयन द्वारा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रंखला में वृद्धि करना है। इसके लिए आवंटन वर्ष 2017-18 के 506 करोड रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 1006 करोड रुपए कर दिया गया है।

10. **लघु उधोग मंत्रालय:-**

यह देश में लघु उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लघु उद्योगों का समर्थन करने के लिए मंत्रालय नीतियां बनाता है, और इन्हें क्रियान्वित करता है, व उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। इसकी सहायता विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम करते हैं, जैसे लघु उद्योग विकास संगठन अपनी नीति का निर्माण करने और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने, कार्यक्रम परियोजना योजनाएं बनाने में सरकार को सहायता करने वाली शीर्ष निकाय है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना सरकार द्वारा देश में लघु उद्योगों का संवर्धन सहायता और पोषण करने की दृष्टि से की गई थी। जिसका संकेंद्रण उनके कार्यों के वाणिज्यिक पहलुओं पर था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से लघु उद्योगों का वित्तपोषण करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

सुधार हेतु सुझाव:-

1. **तकनीक:-**

   एमएसएमई क्षेत्र को बदलते तकनीकी परिवेश में जल्द से जल्द अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर इसके लाभ प्राप्त कर उत्पादन व

गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, जिससे वे माल की आपूर्ति नियमित और उचित दर पर कर सकें ।

2. विपणन सहायता:-

विकास में विपणन सबसे महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से एक उत्पाद को निर्माण से लेकर ग्राहक तक ले जाता है। विपणन एक शानदार गतिविधि है, जिसके लिए नवीन विपणन रणनीतियों तथा नए विपणन उपकरण को निरंतर अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, जो कि समय-समय पर होते रहने चाहिए।

3. कौशल विकास:-

कुशल जनशक्ति और सूचना की कमी के साथ-साथ आधुनिक तकनीक तक पहुंच की कमी हैं, ये एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, मंत्रालय बड़ी संख्या में अल्पकालिक और साथ ही लंबी अवधि का नियोजन करता है, क्योंकि यह प्रशिक्षित नियोजित युवाओं को स्वरोजगार के लिए है, युवाओं को मजदूरी रोजगार के योग्य बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना और एमएसएमई क्षेत्र के मौजूदा श्रमिकों और उद्यमियों के उनके कौशल स्तर को उन्नत करना है।

4. गुणवत्ता में सुधार:-

एमएसएमई क्षेत्र को अपने उत्पाद की गुणवत्ता के उच्च मानदंड निर्धारित करने चाहिए, जिससे कि उनके विक्रय में वृद्धि संभव हो सके। उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद को ग्राहक की पसंद बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, और इससे लाभों में भी वृद्धि होती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पैकेजिंग के बाहर गुणवत्ता और सौंदर्यशास्त्र में सुधार करना चाहिए।

5. ब्याज दर:-

एमएसएमई क्षेत्र में पूंजी की अत्यंत कमी होती , जिससे उन्हें कच्चा माल खरीदने वह उसे अंतिम उत्पाद निर्माण में धन की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसे वह बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करता है। बैंकों को इन इकाइयों को कम ब्याज दर पर और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना चाहिए।

6. सरकार से सहायता:-

एमएसएमई क्षेत्र देश के प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में शामिल होना चाहिए, जिन्हें समय-समय

पर सरकारी सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे कि यह बड़े बड़े उद्योगों के सामने टिके रह सकें। सरकार को इनकी उत्पादन क्षमता का उचित उपयोग करने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए, इनकी रुग्णता की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

7. प्रभावी राष्ट्रीय आर्थिक योजना:-

एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई है, कई सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा भी इन्हें सहायता प्रदान की जाती है, परंतु इसके बावजूद इनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए इनका उन्नयन अत्यंत आवश्यक है। सरकार को चाहिए, कि इनके सुधार हेतु प्रभावी योजना का निर्माण करें, जिससे इनका आर्थिक उन्नयन संभव हो सके और देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकें।

सार:-

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हमारे देश के आर्थिक विकास में आधार का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे देश में रोजगार का 45% इसी क्षेत्र से है। इस क्षेत्र का उन्नयन हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक । इन के लिए प्रभावी योजना पर विचार अत्यंत आवश्यक है, जो कि केवल कागजों तक सिमट कर ना रहे व्यवहारिक धरातल पर जो कारगर सिद्ध हो। ना केवल सरकार को बल्कि गैर सरकारी संगठन, बैंकों को इनके लिए विशेष ध्यान देने व आर्थिक पैकेज घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विकास बिना इनके विकास के संभव हो पाना नामुमकिन है।

***शोधार्थी**
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान

संदर्भ:-

1. Maheswari.S (2014).Role of MSMEs in Economy Development Global Journal for Research Analysis,3(12).24-25
2. Jaswal,S.S.(2014) Problems and Prospects in Economic Enterprises(MSME'S)in India.International journal of Innovative Research and Studies,3(5)
3. MSME Annual Report 2019-20 retrieved from https://name.gov.in/sites/default/files/annually.pdf

4. small and Medium Business Development Chamber of India 2021 http://www.smechamberofindia.com
5. MSME Annual report for the year 2021-22,Govt. Of Rajasthan.
6. Official website of Reserve Bank Of India.

वेबसाइटें

http://www.laghu-udhyog.com
http://www.smallindustryindia.com/ssiindia/definition.htm l

http://www.smallindustryindia.com/emerge/wto.htm

http://www.smallindustryindia.com/policies/cpolicy.htm l

http://www.ssi.nic.in/budget.html